122

संख्या– /XXVIII-4-2015-65/2010

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष एन.पी.सी.बी. कार्यक्रम हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5प/1/25/2014–15/7527, दिनांक 24.03.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एन0पी0सी0बी0 योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–1492/XXVIII-4-2014-65/2010, दिनांक 22.12.2014 के द्वारा धनराशि रू0 6,10,85,000/– की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। भारत सरकार से तदोपरान्त अवमुक्त धनराशि तथा तत्क्रम में आपके कार्यालय के उक्त वर्णित पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.) के सुचारू संचालनार्थ भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 20,00,000.00 (रू0 बीस लाख मात्र) को अवमुक्त करते हुये निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करते हुये ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाए।
3. अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जाय, उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य

D:\Kusum-2015\Budget Allotment\G.O..doc

सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्वति–110–अस्पताल तथा औषधालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–04–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0 एच0एम0 सहित)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम में डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18.03.2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : अलॉटमेंट आई–डी।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–514 (1)/XXVVIII-4-2015-65/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यकम, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. राज्य कार्यकम अधिकारी (नेत्रोपचार), उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–1, 3/नियोजन विभाग/चिकित्सा अनुभाग–5/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।